

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर
बड़जलास - श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद सं. :- 16/2020

निर्णय दिनांक :- 21.01.2021

शेर सिंह पुत्र हरि सिंह जाति राजपूत आयु 26 वर्ष पेशा खेती निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

1. हरि सिंह पुत्र अखे सिंह जाति राजपूत पेशा खेती निवासी गांव नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, जरिए डायरेक्टर पता रजिस्टर्ड ऑफिस 78 इलेक्ट्रीसिटी फेज-1 साइबर पार्क के पास, बैंगलोर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत

प्रतिवादीगण

- उपस्थित :
1. राधा किशन स्वामी वादी
 2. रामचन्द्र सिंह भाटी प्रतिवादी सं. 1
 3. सत्यपाल सहू प्रतिवादी सं. 2

निर्णय

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सह पठित धारा 151 सी. पी. सी.

वाद में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवानी वाद प्रस्तुत कर वादी द्वारा कृषि भूमि वाके रोही नोखडा तहसील कोलायत की खसरा नं. 100 तादादी 83 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 128 तादादी 107 बीघा, खसरा नं. 375/1 तादादी 215 बीघा, खसरा नं. 404/100 तादादी 60 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 122 तादादी 1.4 बीघा, खसरा नं. 123 तादादी 1 बीघा, खसरा नं. 124 तादादी 1.8 बीघा, खसरा नं. 125 तादादी 1.8 बीघा, खसरा नं. 126 तादादी 1.4 बीघा, खसरा नं. 127 तादादी 1.16 बीघा, खसरा नं. 441/128 तादादी 194 बीघा 6 बिस्वा कुल तादादी 668 बीघा 13 बिस्वा वादी. के दादा अखे सिंह की होना दर्ज करते हुए जरिए नापान्तरणकरण सं. 55 प्रतिवादी सं. 1 एवं उसके भाईयों के नाम दर्ज होना अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया हैं वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से जरिए वकील हाजर अदालत होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

किया जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वाद वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र देखा गया। जवाब प्रस्तुत होने पर बहस दिनांक 07.01.2021 को समाप्त की गई।

प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वादगत भूमि वाके रोही नोखडा में जरिए इन्तकाल सं. 55 दिनांक 18.07.1971 से वादी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है।

वादी द्वारा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक

(अ) खाता विभाजन किया जाकर खसरा नं. 652/375 तादादी 53 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादी का प्रतिवादी के साथ 1/2-1/2 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर अलग अलग नजरी नक्शा तैयार किया जावे।

खाता विभाजन का वाद सह काश्तकार ही प्रस्तुत कर सकता है वादगत भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने के कारण कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(ब) चिरस्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री पारित की जावे कि खसरा नं. 652/375 तादादी 53 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी दखलंदाजी ना करे, ना ही रहन, बैय मुन्तकिल करे।

चिरस्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल टिनेन्ट ही ला सकता हैं वादी रेकार्डेड खातेदार नहीं है, वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से कभी भी राजस्व लगान अदा नहीं किये जाने से उक्त वादगत भूमि का वादी टिनेन्ट नही होने के कारण कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(स) प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित बैयनामा दिनांक 15.06.2020 वादी के हकों पर बेअसर है, अपने हिस्से से ज्यादा अवैध बेचान होने के कारण एबनिशियो वोएड होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

वाद की मुख्य रिलीफ पंजीकृत बैयनामा को निरस्त किये जाने हेतु है। पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविलय में निहित होने, बिना क्षेत्राधिकार के प्रस्तुत होने के कारण वाद बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त फरमाया जावे। इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नजीर प्रस्तुत की है :-

1992 RLR (2) Page 401 H.C.

वादी खातेदारी काश्तकारी नहीं होने के कारण बिना अपने अधिकारों की घोषणा करवाए खाता विभाजन एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नही होने से वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण पंजीकृत बैयनामा निरस्त करवाने का वाद बार्ड बाई लॉ है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार राजस्व न्यायालयों को तृतीय अनुसूची में दर्ज मामलो की सुनवाई के अधिकार दिए गये है। जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र तृतीय अनुसूची का विषय नहीं है।

वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम कितनी भूमि दर्ज है एवं विक्रय के पश्चात कितनी भूमि शेष रही दर्ज नहीं करते हुए मात्र विक्रय शुदा भूमि में ही हिस्सा की मांग करते हुए बयनामा निरस्त करने की मांग की गई है, जिससे वाद स्पष्टतः पंजीकृत बैयनामा को निरस्त करवाने का होने के कारण बार्ड बाई लॉ है जो आदेश 7 नियम 11 (डी) के मुताबिक इसी स्टेज पर काबिल खारिजी के है इस हेतु निम्न नजीरात अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

पिताजी की मृत्यु के उपरान्त खाता विभाजन कर अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेने के पश्चात कृषि भूमि स्व. अर्जित हो जाने के कारण एवं वादी का पिता के जीवनकाल में कोई हिस्सा नहीं होने के कारण वाद इरी स्ट्रेज पर खारिज फरमाया जावे।

AIR 1986 S.C. 1753 Para 12
1995 C.C.C. (2) Page 94
2008 SCC 87

सिविल अपील सं. 5889/2009 आदेश दिनांक 22.11.2019 सर्वोच्च न्यायालय राधा देवी बनाम रामनारायण वगैरह

माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रति पारित सिद्धान्तों के अनुसार वादी द्वारा अधिकारों की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहने के कारण उक्त वाद मात्र पंजीकृत बैयनामा निरस्त करवाने का होने से बार्ड बाई लॉ है। जो बिना क्षेत्राधिकार प्रस्तुत होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी द्वारा बहस का जवाब देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर वाद को प्रोसीड किये जाने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. चलने योग्य नहीं होना बतलाया, इस हेतु निम्न नजीरात प्रस्तुत की गई।

1997 RBJ 315
1998 RBJ 443
1995 RRD 577

उक्त दृष्टांत प्रकरण पर लागू नहीं होते क्योंकि इनसे विशिष्ट खसरा नम्बर का विक्रय राजस्व रेकार्ड में दर्ज कोशेयरर की अनुमति के बिना हुआ है। जबकि वादगत भूमि में वादी राजस्व रेकार्ड में टीनेंट दर्ज नहीं है।

वकील प्रतिवादी सं. 1 ने वादगत भूमि का विक्रय किया जाना स्वीकार किया। परन्तु न्यायिक निर्णय 2014 आर.आर.टी. पेज 1 प्रस्तुत किया। जिसे लिखित बहस में वादी द्वारा दर्ज किया गया है।

वकील प्रतिवादी एवं वादी की लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णय का मनन किया गया। वादगत भूमि वाद पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज कुल 668 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नोखडा की भूमि दर्ज की गई है। जिसमें वादी का हिस्सा कुल कितना बीघा बनता है। वादी के पिता को खाता विभाजन में कितनी भूमि प्राप्त हुई। उक्त भूमि में वादी द्वारा अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु वाद पत्र में अनुतोष नहीं चाहा गया है। मात्र खसरा नं. 652/375 तादादी 53 बीघा 16 बिस्वा में से अपना 1/2 हिस्सा का विभाजन किया जाकर नक्शा तरमीम करने एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की रिलीफ चाही गई है। वादी बिना अपने हकों की घोषणा करवाए ना तो खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है, ना ही चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। कोई सहकाशतकार ही खाता विभाजन करवा सकता है एवं टीनेन्ट ही चिरस्थाई प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत नजीरात 2014 आरआरटी पेज 1, 2015 आरआरटी पेज 474, 2010 आरआरटी पेज 1141, 2013 आरआरटी पेज 1213 एवं 2010 आरआरडी पेज 8 का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त सभी नजीरात

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

में प्रस्तुत वाद में अपने कानूनन स्थिति हक एवं हिस्से हेतु घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में घोषणात्मक अनुतोष ही नहीं मांगा गया है। इसलिए बिना अपने हिस्से की घोषणा करवाए वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद पत्र मात्र बैयनामा निरस्त करने की सीमा तक रह जाता है। पंजीकृत बैयनामा निरस्त करने के अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का होने के कारण वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का नहीं होने से ना काबिल चलने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया शामिल किया जावे।



4 ✓
(प्रदीप कुमार)
जुजपखण्ड अधिकारी
कोलायत कोलायत